# नेपाल राजपत्र

## भाग २

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २४] काठमाडौं, असार ३१ गते २०३१ साल [अतिरिक्ताङ्क १७

### श्री ५ को सरकार

### कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छः–

२०३१ सालको ऐन नं. १

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम्।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## आर्थिक वर्ष २०३१।३२ को सेवा र कार्यहरूको केही अंशको लागि सञ्चित कोषबाट पेश्कीको रूपमा केही रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः- आर्थिक वर्ष २०३१।३२ को निमित्त प्रस्तुत विनियोजन विधेयक विचराधीन रहेको र सो वर्षको निमित्त अनुमान गरिएको खर्चको केही अंश अगावै पेश्कीको रूपमा सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नामः- यस ऐनको नाम "पेश्की खर्च ऐन, २०३१" रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०३१।३२ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकारः- आर्थिक वर्ष २०३१।३२ को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ ५२,०४,६३,०००।– (बाउन्न करोड चार लाख त्रिसट्ठी हजार) मा नबढाई त्यतिसम्म रकम सञ्चित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न सकिनेछ ।

२२८

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची- १

नेपालको संविधान अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रू. हजारमा |
| १ | १–१ | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | ६८,२६ |
| २ | १–२ | राजसभा | ३,७७ |
| ३ | १–३ | राष्ट्रिय पञ्चायत | १०,३८ |
| ४ | १–४ | महालेखा परीक्षकको विभाग | १६,३७ |
| ५ | १–५ | सर्वोच्च अदालत | ६,०१ |
| ६ | १–६ | लोक सेवा आयोग | २१,२० |
| ७ | १–७ | निर्वाचन आयोग | २३,३२ |
| ८ | ६–८ | यातायात | १८,०० |
| ९ | ११–१ | साँवा भुक्तानी | १,७१,३८ |
| १० | ११–२ | ब्याज भुक्तानी | ३,७७,०७ |
| ११ | १२–६ | अन्य | ३,०० |
| | | | ७,२४,७६ |

२५२

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

# अनुसूची- २

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रू. हजारमा |
| १ | १–३ | राष्ट्रिय पञ्चायत | ५,१६ |
| २ | २–१ | मन्त्रिपरिषद् | ५,७२ |
| ३ | २–२ | श्री ५ को सरकारको सचिवालय | ३६,३७ |
| ४ | २–३ | जिल्ला प्रशासन | ४१,५० |
| ५ | २–४ | प्रहरी | १,३८,३७ |
| ६ | २–५ | कारागार | २२,०७ |
| ७ | २–६ | बिविध | ९६,६४ |
| ८ | २–७ | प्रशासन सुधार | १,५० |
| ९ | ३–१ | मालपोत | २१,९१ |
| १० | ३–२ | भन्सार | १३,७८ |
| ११ | ३–३ | अन्तःशुल्क | ६,३४ |
| १२ | ३–४ | कर | ७,३५ |
| १३ | ३–५ | राजस्व न्यायाधिकरण | १,२३ |
| १४ | ४–१ | योजना | १,९५ |
| १५ | ४–२ | तथ्याङ्क | ३,७२ |
| १६ | ४–३ | टक्सार | ८,९८ |
| १७ | ४–४ | महालेखापाल कार्यालय | ४,३८ |
| १८ | ४–५ | मेट्रिक नाप तौल | १,१७ |
| १९ | ५–१ | अदालत | २६,१९ |
| २० | ५–२ | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ९५ |
| २१ | ६–१ | वैदेशिक सेवा | ३९,९८ |
| २२ | ६–२ | विविध | १३,०७ |
| २३ | ७–१ | रक्षा | २,४३,१९ |
| २४ | ८–१ | शिक्षा | १,५८,५७ |

२५६

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रू. हजारमा |
| २५ | ८–२ | स्वास्थ्य | ७६,८९ |
| २६. | ८–३ | पिउने पानी | ५,४२ |
| २७ | ८–४ | पञ्चायत | ४६,५२ |
| २८ | ८–५ | अन्य सामाजिक सेवाहरू | ४१,९४ |
| २९ | ९–१ | कृषि | २६,९१ |
| ३० | ९–२ | सिचाइ | ६,०४ |
| ३१ | ९–३ | भूमिसुधार | १५,२९ |
| ३२ | ९–४ | नापी | ५,०६ |
| ३३ | ९–५ | वन | १३,९३ |
| ३४ | ९–६ | उद्योग तथा खानी | ४,७६ |
| ३५ | ९–७ | सञ्चार | ५१,४२ |
| ३ | ९–८ | यातायात | ५०,६६ |
| ३७ | ९–९ | विद्युत् | १३,६३ |
| ३८ | ९–१० | अन्य आर्थिक सेबाहरू | २,१० |
| ३९ | १०–१ | ऋण र लगानी | ४,२२ |
| ४० | १२–१ | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च | १०,०० |
| ४१ | १२–२ | निवृत्त भरण, भत्ता तथा उपदान | २२,६३ |
| ४२ | १२–३ | अतिथि सत्कार | १,२५ |
| ४३ | १२–४ | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार | २५ |
| ४४ | १२–५ | मुआवजा | २,०० |
| ४५ | १२–६ | अन्य | २९,२५ |
| ४६ | १२–७ | भैपरिआउने | ३०,०० |
| | | | १३,६०,२६ |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची–३

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रू. हजारमा |
| १ | २–७ | प्रशासन सुधार | १,४० |
| २ | ४–१ | योजना | १९,६४ |
| ३ | ४–२ | तथ्याङ्क | ४,५४ |
| ४ | ८–१ | शिक्षा | ३,१०,९४ |
| ५ | ८–२ | स्वास्थ्य | २,०७,७८ |
| ६ | ८–३ | पिउने पानी | १,०७,६० |
| ७ | ८–४ | पञ्चायत | १,०३,५३ |
| ८ | ८–५ | अन्य सामाजिक सेवाहरू | ९५,४८ |
| ९ | ९–१ | कृषि | ३,७८,८४ |
| १० | ९–२ | सिंचाइ | ३,०३,१२ |
| ११ | ९–३ | भूमिसुधार | ३६,०९ |
| १२ | ९–४ | नापी | ४६,९३ |
| १३ | ९–५ | बन | ९९,६५ |
| १४ | ९–६ | उद्योग तथा खानी | ४,२०,२९ |
| १५ | ९–७ | सञ्चार | ४४,३२ |
| १६ | ९–८ | यातायात | १२,४७,९७ |
| १७ | ९–९ | विद्युत् | २,६९,७५ |
| १८ | ९–१० | अन्य आर्थिक सेवाहरू | ७३,८५ |
| १९ | १२–६ | अन्य | ५२,६५ |
| २० | १२–७ | भैपरिआउने | २०,०० |
| | | | ३८,४४,३७ |

लालमोहर सदर मिति–
२०३१।३।३१।२

आज्ञाले–
चूडामणिराज सिंह मल्ल
श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित।